

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 6/2018 वाद

धन्ना पिता भुरा खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल। - वादी

//बनाम//

1. शोभागमल पिता नारायण खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
2. राजमल पिता नारायण खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
3. मु. मांगी बाई बेवा नारायण खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
4. प्रभुलाल पिता भुरा खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
5. गोकल पिता भुरा खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
6. कैलाश पिता लक्ष्मण खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
7. शांतिलाल पिता लक्ष्मण खटीक, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
8. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार (उप पंजीयक) निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 28.01.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि विवादित आराजीयात वाके मौजा मांगरोल की खाता संख्या 890 की आराजीयात का बंटवारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व मोक़े पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। पंहुच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/1 दिनांक 22.05.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मांगरोल की खाता संख्या 890 की आराजीयात का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- वादी धन्ना पिता भूरा खटीक, सा. देह के रहेगी-

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रुपये में |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 197 पूर्व में चौथा | 0.19 | 2.28 |
| 197 पूर्व में छठा | 0.20 | 2.40 |
| 213 उत्तर में दूसरा | 0.06 | 0.72 |
| 215 दक्षिण में तिसरा | 0.03 | 0.36 |
| 214 उत्तर में दूसरा | 0.30 | 3.60 |

कुल किता 5 कुल रकबा 0.7800 हेक्टेयर कुल लगान 9.36 रुपये

2- श्री सोभागमल, राजमल पिता नारायण, मु. मांगी बाई पत्नी स्व. नारायण खटीक सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|---------------------|-------------------|----------------|
| 197 दक्षिण पश्चिम | 0.20 | 2.40 |
| 213 उत्तर | 0.13 | 1.56 |
| 214 उत्तर में प्रथम | 0.20 | 2.40 |
| 215 दक्षिण में चौथा | 0.10 | 1.20 |
| 215 उत्तर पूर्व | 0.15 | 1.80 |

.....
कुल किता 5 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर कुल लगान 9.36 रूपये
.....

3- श्री प्रभुलाल पिता भुरा खटीक, सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|------------------|-------------------|----------------|
| 197 पश्चिमी मध्य | 0.19 | 2.28 |
| 213 दक्षिण | 0.07 | 0.84 |
| 214 दक्षिण | 0.34 | 4.08 |
| 215 दक्षिण | 0.03 | 0.36 |
| 215 उत्तर पश्चिम | 0.15 | 1.80 |

.....
कुल किता 5 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर कुल लगान 9.36 रूपये
.....

4- श्री गोकल पिता भुरा खटीक, सा. देह, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|---------------------|-------------------|----------------|
| 197 पूर्व में तिसरा | 0.20 | 2.40 |
| 197 उत्तर पश्चिम | 0.58 | 6.96 |

.....
कुल किता 2 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर कुल लगान 9.36 रूपये
.....

5- कैलाश 6/15, शांतिलाल 6/15, शम्भु बाई 1/15, केसर बाई 1/15, उगम बाई 1/15 पिता लक्ष्मण खटीक, सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 197 पूर्व में प्रथम | 0.19 | 2.28 |
| 197 पूर्व में पांचवा | 0.20 | 2.40 |
| 213 दक्षिण में दूसरा | 0.06 | 0.72 |
| 214 दक्षिण में दूसरा | 0.30 | 3.60 |

215 दक्षिण में दूसरा 0.03

0.36

.....
कुल किता 5 कुल रकबा 0.7800 हेक्टेयर कुलल लगान 9.36 रुपये
.....

इसी प्रकार आराजी नं. 215 (पश्चिम दिशा) रकबा 0.0600 हेक्टेयर व आराजी नं. 197 (उत्तर दिशा) रकबा 0.0800 हेक्टेयर भूमि रास्ता जमाबन्दी अनुसार बदस्तुर शामलाती खातेदारी में रहेगी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 12.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

